न्यायालयः–विशिष्ट न्यायाधीश, (एनडीपीएस एक्ट) प्रकरण, जैसलमेर।
(सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर)

पीठासीन अधिकारी– श्री ओमी पुरोहित

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 127/2026

भोमसिंह पुत्र शैतानसिंह उम्र 26 साल निवासी आसलोई पुलिस थाना खुहड़ी, जिला-जैसलमेर।

-प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये विशिष्ट लोक अभियोजन जैसलमेर। **....... अप्रार्थी**

द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

उपस्थितः-

1. श्री प्रयागसिंह भाटी, विद्वान अधिवक्ता-प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2. श्री श्यामपालसिंह राठौड़, विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

-आदेश- **दिनांक-18.03.2026**

1. प्रार्थी/अभियुक्त भोमसिंह की ओर से यह द्वितीय जमानत आवेदन धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसका निस्तारण इस आदेश द्वारा किया जा रहा है। नकल विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक को दिलायी गयी। प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 01.08.2025 को पुलिस थाना कोतवाली जैसलमेर के थानाधिकारी प्रेमदान रतनू ने पुलिस थाना कोतवाली जैसलमेर के रोजनामचा में एक रपट इस आशय की दर्ज की कि दिनांक 01.8.2025 को वक्त 2.20 पीएम पर उसे मुखबिर ने प्रकाश मांजू द्वारा भारी मात्रा में मादक पदार्थ एमडी लेकर आने एवं रेलवे स्टेशन जैसलमेर के सामने खड़ा होकर मादक पदार्थ एमडी की सप्लाई की फिराक में होने की इत्तला दी जिस पर उसने फर्द मुखबीर इत्तला मुर्तीब कर इत्तला की प्रति उच्चाधिकारियों को प्रेषित की एवं वक्त 2.38 पीएम पर वह मय जाब्ता थाना से रवाना होकर रेलवे स्टेशन जैसलमेर के पास जोधपुर रोड़ पर पहुंचे जहां महेन्द्रसिंह कानि. को नोटीस देकर स्वतंत्र मौतबीर की तलबी हेतु रवाना किया जिसने वापस आकर स्वतंत्र मौतबीर बनाने हेतु प्रयास करना लेकिन कोई भी स्वतंत्र मौतबीर बनने हेतु तैयार नहीं होना बताया जिस पर थानाधिकारी ने राह चलते लोगों को स्वतंत्र मौतबीर बनाने के प्रयास किये लेकिन कोई भी मौतबीर बनने हेतु तैयार नहीं हुआ एवं इसके बाद मय जाब्ता मुखबीर के बताये अनुसार रेलवे स्टेशन के मैन गेट के आगे जोधपुर रोड़ पर पहुंचने पर सड़क के किनारे खेजड़ी के पेड़ के पास एक स्कॉर्पियो वाहन संख्या जीजे 21 सीसी 5654 खड़ा दिखाई दिया जिस वाहन के ड्राइवर की सीट के पास वाली आगे की सीट पर मुखबिर के बताये हुलिये का एक व्यक्ति एवं ड्राईवर सीट पर एक अन्य व्यक्ति बैठा दिखाई दिया जो व्यक्ति आपस में बातें कर रहे थे। उक्त वाहन के पास जाकर उसमें ड्राईवर सीट के पास वाली सीट पर बैठे व्यक्ति का नाम पता पूछा तो अपना नाम प्रकाश पुत्र राजूराम विश्नोई निवासी मांजूओं की ढाणी मण्डला कला जिला फलोदी एवं ड्राईवर सीट पर

बैठे व्यक्ति ने अपना नाम प्रेमप्रकाश पुत्र गोमाराम विश्नोई निवासी पूनियों की ढाणी हरिसिंह नगर गिलाकौर पुलिस थाना चामू जिला जोधपुर होना बताया जिस पर उक्त वाहन स्कॉर्पियो एवं उसमें बैठे उक्त व्यक्तियों प्रकाश व प्रेमप्रकाश की तलाशी हेतु जाब्ता में से कौशलाराम कानि व हिंगलाजदान कानि. को मौतबीर मामूर कर गाड़ी में चालक सीट के पास बैठे व्यक्ति प्रकाश को धारा 50 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस दिया एवं प्रकाश पुत्र राजूराम की जामा तलाशी ली तो प्रकाश पुत्र राजूराम के पहनी जींस पेंट की बांयी जेब में खाकी रंग की टेप से लपेटे दो पैकेट मिले एवं दाहिनी जेब में एक वीवो कंपनी का फोन, शर्ट की उपरी जेब में रोकड़ रूपये एवं धारा 50 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस मिले जो कब्जा पुलिस लिये। इसके बाद ड्राईवर सीट पवर बैठे व्यक्ति के बारे में प्रकाश से पूछने पर प्रकाश पुत्र राजूराम ने बताया कि प्रेमप्रकाश पुत्र गोमाराम उसका दोस्त है जिसका उक्त स्कॉर्पियो वाहन है, जिसे वह मादक पदार्थ एमडी की सप्लाई हेतु साथ लाया है, जिस पर प्रेमप्रकाश पुत्र गोमाराम को धारा 50 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस देकर उसकी सहमति प्राप्त कर उसकी व वाहन स्कॉर्पियो की तलाशी तो उसकी पेंट की जेब में एक आईफोन व एक वन प्लस कंपनी के स्मार्ट फोन मिले जो कब्जा में लिये एवं प्रेमप्रकाश पुत्र गोमाराम से पूछने पर बताया कि उसे प्रकाश ने जैसलमेर में एमडी की सप्लाई करके आना व अच्छा भाड़ा देना कहा था जिस पर वह प्रकाश के साथ एमडी सप्लाई करने आया था एवं स्कॉर्पियो वाहन उसका स्वयं का है। इसके बाद प्रकाश पुत्र राजूराम की जेब में मिले दोनों पैकेट की टेप हटाकर खोलकर चैक किया तो प्रथम पैकेट में एक प्लास्टिक के पाउच में भूरे रंग का दानेदार पदार्थ भरा पाया जिसका इलेक्ट्रिक कांटे से तोल किया तो वजन 183.1 ग्राम होना पाया व दूसरे पैकेट को खोलकर चैक किया तो उसमें एक प्लास्टिक के पाउच में भूरे रंग का दानेदार पदार्थ भरा पाया जिसका इलेक्ट्रिक कांटे से तोल किया तो दूसरे पैकेट का वजन 153.3 ग्राम होना पाया। दोनों पैकेट को चैक कर परखा गया तो दोनों पैकेट में मादक पदार्थ एमडी होना पाया एवं प्रकाश पुत्र राजूराम ने भी मादक पदार्थ एमडी होने की पुष्टि की। प्रकाश पुत्र राजूराम व प्रेमप्रकाश पुत्र गोमाराम से मादक पदार्थ एमडी कब्जा में रखने व परिवहन करने के लाईसेंस के बारे में पूछा तो अपने पास कोई लाईसेंस नहीं होना बताया जो जुर्म धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के तहत दण्डनीय होने से उक्त मादक पदार्थ के दोनों पैकेट को अलग-अलग कपड़े की थैलियों में डालकर सीलचेपा किये। प्रकाश पुत्र राजूराम को उसके कब्जा में मिले मादक पदार्थ एमडी को प्राप्त करने के स्रोत के बारे में पूछा तो उसने उक्त मादक पदार्थ एमडी सुभाष विश्नोई निवासी बरजासर से दिनांक 31.7.2025 को खरीदना एवं सुभाष विश्नोई के वाट्सएप नंबर +44 7832723791 होना बताया जिस पर थानाधिकारी ने वाट्सएप के जरिये संपर्क किया एवं संपूर्ण सीजर कार्यवाही की वीडियोग्राफी ई साक्ष्य एप्लीकेशन पर की। प्रकाश पुत्र राजूराम की तलाशी में मिले विवो फोन व रोकड़ रूपये 1180/- को कब्जा पुलिस लिया। प्रेमप्रकाश पुत्र गोमाराम की तलाशी में मिले मोबाईल फोन व 22750/- रूपये नकद कब्जा पुलिस लिये। आरोपीगण द्वारा मादक पदार्थ परिवहन में प्रयुक्त वाहन स्कॉर्पियो नंबर जीजे 21 सी सी 5654 को जब्त किया। उक्त दोनों आरोपीगण प्रकाश पुत्र राजूराम एवं प्रेमप्रकाश पुत्र गोमाराम को गिरफ्तार किया एवं बाद संपूर्ण कार्यवाही मय जब्तशुदा मादक पदार्थ एमडी के सीलबंद पैकेट, जब्तशुदा स्कॉर्पियो वाहन एवं गिरफ्तारशुदा आरोपीगण प्रकाश एवं प्रेमप्रकाश को लेकर थाना पहुंचे। मुलजिम प्रकाश के वाटसअप से सुभाष पुत्र मोहनराम निवासी बरजासर से एमडीएम खरीदने के संबंध में हुई

बातचीत के स्क्रीन शॉट प्रिंट निकालकर शामिल पत्रावली किये गये तथा अभियुक्त प्रकाश के फोन पे नहीं होने के कारण भोमसिंह पुत्र शैतानसिंह निवासी असलाई पुलिस थाना, खुहडी जैसलमेर द्वारा एमडीएमए खरीदने का पेमेंट प्रकाश के सहअभियुक्त प्रेमप्रकाश के फोन पे भिजवाने के लेनदेन के स्क्रीन शॉट प्रिंट निकालकर शामिल पत्रावली किये गये तथा बैंक से प्रमाणित सुदा रेकर्ड प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया गया...........आदि। उक्त रोजनामचा रपट के आधार पर पुलिस थाना कोतवाली, जैसलमेर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 158/2025 पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। दौराने अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त भोमसिंह को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है, जो वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है एवं उसकी ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जरिये नोट प्रेस दिनांक 22.12.2025 को खारिज किया गया। तत्पश्चात बाद अनुसंधान प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 8/21, 29 एन.डी.पी.एस.एक्ट एवं सहअभियुक्त प्रकाश के विरूद्ध धारा 8/21 एन.डी.पी.एस.एक्ट व सहअभियुक्त प्रेमप्रकाश के विरूद्ध धारा 8/21, 25 एन.डी.पी.एस.एक्ट में आरोप पत्र इस न्यायालय में पेश किया गया। जिस पर प्रार्थी भोमसिंह को धारा 8/21, 29 एन.डी.पी.एस.एक्ट एवं सहअभियुक्त प्रकाश को धारा 8/21 एन.डी.पी.एस.एक्ट व सहअभियुक्त प्रेमप्रकाश को धारा 8/21, 25 एन.डी.पी.एस.एक्ट में आरोप पृथक से सुनाया गया। जिस पर प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से हस्तगत द्वितीय जमानत आवेदन इस न्यायालय में पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र पर सुना गया। प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति इस प्रकार है-

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	पुलिस थाना का नाम	प्रथम सूचना रिपोर्ट किस अपराध में संस्थित हुई	वर्तमान में मामला किस अपराध के तहत अन्वेषणाधीन है।	प्रार्थी की गिरफ्तारी की दिनांक	प्रार्थी के विरूद्ध अन्य लम्बित/ सजायाब प्रकरणों की संख्या
1	2	3	4	5	6
158/2025 सैशन प्रकरण संख्या 29/2026 राज्य बनाम प्रकाश व अन्य	कोतवाली, जैसलमेर	8/21 एनडीपीएस एक्ट	8/21, 29 एनडीपीएस एक्ट	29.11.2025	शून्य

3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने जाहिर किया कि प्रार्थी/अभियक्त के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। यह भी जाहिर किया कि प्रार्थी/अभियुक्त से कोई बरामदगी नहीं हुई है। यह भी जाहिर किया कि प्रार्थी/अभियुक्त को कोई माल सप्लाई नहीं हुआ है। यह भी जाहिर किया कि प्रार्थी/अभियुक्त को केवल मात्र सहअभियुक्तगण के कथनों के आधार पर अभियुक्त के रूप में जोडा गया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 29.11.2025 से अभिरक्षा में होकर अभी प्रकरण के विचारण में समय लगेगा। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध हस्तगत प्रकरण के अलावा अन्य कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज/विचाराधीन नहीं होना बताया गया है। अतः जमानत पर रिहा करने की मांग की।

4. विशिष्ट लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए जाहिर किया कि प्रार्थी/अभियुक्त भोमसिंह के खिलाफ धारा 08/21, 29 एन.डी.पी.एस.एक्ट के अपराध का आरोप विरचित किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त पर धारा 37 के प्रावधान लागू होते है। प्रार्थी/अभियुक्त भोमसिंह एवं सहअभियुक्त प्रेमप्रकाश की बातचीत की सी.डी.आर. भी पत्रावली पर है तथा भोमसिंह और प्रेमप्रकाश के मध्य पैसे ट्रांसफर भी उक्त मादक पदार्थ बाबत हुए है तथा प्रेमप्रकाश ने वो पैसे सहअभियुक्त प्रकाश के खाते में ट्रांसफर किये है, उसका भी रिकार्ड पत्रावली पर है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन को अस्वीकार कर खारिज किए जाने का निवेदन किया।

5. मैंने विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त भोमसिंह के खिलाफ धारा 08/21, 29 एन.डी.पी. एस. एक्ट के अपराध का आरोप विरचित किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त पर धारा 37 के प्रावधान लागू होते है। हस्तगत प्रकरण में सहअभियुक्त प्रकाश के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ 183.1 ग्राम एवं 153.3 ग्राम Mephedrone की वाणिज्यिक मात्रा में बरामदगी हुई हैं। अतः इस स्तर प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों, अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त भोमसिंह को जमानत पर छोड़ा जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं।

<u>आदेश</u>

6. अतः अभियुक्त भोमसिंह पुत्र शैतानसिंह उम्र 26 साल निवासी आसलोई पुलिस थाना खुहड़ी, जिला–जैसलमेर की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 158/2025 पुलिस थाना, कोतवाली, जैसलमेर जिला जैसलमेर, सैशन प्रकरण संख्या 29/2026 राज्य बनाम प्रकाश वगैरा के मामले में प्रस्तुत यह द्वितीय जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता हैं।

(ओमी पुरोहित)
विशिष्ट न्यायाधीश,
(एनडीपीएस एक्ट) प्रकरण,
(सेशन न्यायाधीश)
जैसलमेर।

7. आदेश आज दिनांक **18.03.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमी पुरोहित)
विशिष्ट न्यायाधीश,
(एनडीपीएस एक्ट) प्रकरण,
(सेशन न्यायाधीश)
जैसलमेर।

KAMAL KANT PALIWAL
Verified
Digitally signed by KAMAL KANT PALIWAL